

14 5 एनेक्चर-1

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्र. एफ 4(10)पंसादि/पीपी/जीकेएन/ 2014-15

जयपुर, दिनांक 22 दिसम्बर, 2015

-: आदेश :-

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सम्पादित विभिन्न जार्यों के किये जा रहे विभिन्न प्रकार के अंकेक्षण के सरलीकरण के लिए शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है -

1. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, शासन सचिवालय जयपुर ।
2. वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरगा ।
3. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग ।
4. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग

— सदस्य सचिव

(राजीव सिंह ठाकुर)  
शासन सचिव, ग्रादि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है -

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रादि एवं पंसादि, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, कृषि एवं उद्योगिकी विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग, ग्रादि एवं पंसादि, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग, जयपुर।
8. समस्त परि, निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/ अभियंतागण, ग्रादि एवं पंसादि/ईजीएस, जयपुर।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
10. अति, जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय जिला परिषद समस्त।
11. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एन.नू) ग्रादि, को विनागीय वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. अधिशाही अभियंता, ईजीएस, जि.प. समस्त राजस्थान।
13. विकास अधिकारी, पंसा, समस्त।
14. रक्षित पत्रावली।

(अधीक्षण अभियन्ता, ग्रादि)